

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 2/2025/ (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.- 2025/12

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन देवलीमांडी जिला कोटा
ग्रामीण (राज0)

बनाम

सलीम पुत्र छीतर खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी बालूहेडा चोकी थाना
देवलीमांडी, जिला कोटा (राज0)



कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 23/01/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन देवलीमांडी जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल सलीम पुत्र छीतर खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी बालूहेडा चोकी थाना देवलीमांडी, जिला कोटा (राज0) थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	53/3-02-24	13 आरपीजीओ	16/8-2-2024	100 रू0जुर्माना / सजा
2.	53/19-03-24	13 आरपीजीओ	51/31-3-24	100 रू0जुर्माना / सजा
3.	142/2017	13 आरपीजीओ	112/20-9-2007	100 रू0जुर्माना / सजा
4.	26/2007	13 आरपीजीओ	13/14-3-2007	100 रू0जुर्माना / सजा

अतः सलीम पुत्र छीतर खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी बालूहेडा चोकी थाना देवलीमांडी, जिला कोटा (राज0) के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


अति. जिला कलक्टर
कोटा

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। गैरसायल ने उपस्थित होकर थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वर्तमान में शांतिपूर्वक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। बार बार अदालत में आने के कारण मजदूरी / व्यवसाय में आर्थिक हानि होती है अतः उक्त कार्यवाही को निर्णित किये जाने की कृपा करे।

अतः थानाधिकारी देवलीमांड़ी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी देवलीमांड़ी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 04 प्रकरण दर्ज हुए हैं सभी प्रकरणों मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओं में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार सलीम पुत्र छीतर खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी बालूहेडा चोकी थाना देवलीमांड़ी, जिला कोटा (राज0) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिए थाना देवली मांड़ी जिला कोटा की सीमा से जिला बारा के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, अन्ता, जिला बारां को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी, अन्ता, जिला बारां गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 15 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 14/08/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना देवलीमांड़ी जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल सलीम पुत्र छीतर खां जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी बालूहेडा चोकी थाना देवलीमांड़ी, जिला कोटा (राज0) को दिनांक 14/08/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना देवलीमांड़ी जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, अन्ता, जिला बारां की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थानाधिकारी, अन्ता, जिला बारां उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी देवलीमांड़ी जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र देवलीमांड़ी जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला क्लर्क
कोटा, राज0 कोटा